A-130

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

संख्या: एचआरएम-I/ए-11(1)/2025/एसीसी/एसीसी(मुख्यालय)/714 दिनांक: 01/08/2025

कार्यालय आदेश

विषय: अपर के.भ.नि.आ.-मुख्यालय के पद पर तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में पदोन्नति के संबंध में।

अपर के.भ.नि.आ-मुख्यालय के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 13.06.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा पर, माननीय अध्यक्ष, कें.न्य.बो.,क.भ.नि., पैनल वर्ष 2025 के लिए तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में अपर के.भ.नि.आ-मुख्यालय के पद पर सुश्री उमा मंडल, अपर के.भ.नि.आ की नियुक्ति को अनुमोदित करते हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति पर, अधिकारी अगले आदेश तक वर्तमान तैनाती स्थान पर यथावत बने रहेंगे। तदर्थ पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। अधिकारी का नियुक्ति आदेश अलग से जारी किया जाएगा।

3. पदोन्नति सीलबंद लिफाफे के मामलों के कारण उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध तदर्थ आधार पर होगी, जब तक कि सीलबंद लिफाफे के मामलों को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता या ग्रेड में नियमित रिक्तियां उत्पन्न नहीं हो जातीं, जो भी पहले हो। यदि किसी अधिकारी को, जिसकी सिफारिश सीलबंद लिफाफे में है, दोषमुक्त कर दिया जाता है और सीलबंद लिफाफा खोला जाता है तथा अधिकारी को पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो उसे पदोन्नति में, यदि कोई हो प्राथमिकता दी जाएगी, और यदि इस अधिकारी के लिए कोई रिक्ति नहीं है तो सबसे कनिष्ठ अधिकारी को रिवर्ट कर दिया जाएगा।

4. वेतन निर्धारण के संबंध में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा: "ऐसे मामलों में जहां तदर्थ पदोन्नति के बाद बिना किसी रुकावट के नियमित नियुक्ति की जाती है, वहां प्रारंभिक नियुक्ति या पदोन्नति की तिथि से विकल्प स्वीकार्य है, जिसका प्रयोग ऐसी नियमित नियुक्ति की तिथि से एक महीने के भीतर किया जाना है।"

5. यह नियुक्ति अन्य सभी पात्र अधिकारियों की वरिष्ठता और नियमित आधार पर पदोन्नति के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी और इससे अधिकारी को न तो नियमित आधार पर पदोन्नति का दावा करने का अधिकार मिलेगा, न ही वरिष्ठता का।

6. सुश्री उमा मंडल, अपर के.भ.नि.आ की तदर्थ आधार पर अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुख्यालय के रूप में कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट, एच आर एम, मुख्यालय को rcl.hrm@epfindia.gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके अलावा, इसे एच आर -सॉफ्ट पोर्टल पर भी अद्यतन किया जाएगा।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1 (एचआरएम-I)

सेवा में,

1. सभी संबंधित अधिकारी

प्रतिलिपि:(संबंधित क.भ.नि.सं.वेबसाइट के माध्यम से)

1. माननीय अध्यक्ष कें.न्य.बो.,क.भ.नि. के निजी सचिव।
2. सचिव, श्रम एवं रोजगार के प्रधान निजी सचिव।
3. कें.भ.नि.आयुक्त के निजी सचिव।
4. वि.सला.एवं.मु.ले.अ/मु.सत.अधि/अपर.कें.भ.नि.आ.(मुख्यालय)/निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।
5. सभी अपर.कें.भ.नि.आ, मुख्यालय और अंचल/मुख्य अभियंता।
6. सभी क्षे.भ.नि.आयुक्त प्रभारी (सभी क्षेत्रीय कार्यालय)/ क्षे.भ.नि. आयुक्त (प्र.से.प्र), मुख्यालय/ क्षे.भ.नि. आयुक्त (एनडीसी)।
7. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
8. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/आंचलिक लेखा परीक्षा दल/ क्षे.भ.नि. आयुक्त आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान।
9. महासचिव, क.भ.नि. अधिकारी एसोसिएशन, लुधियाना।
10. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत फाइल।
11. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय गार्ड फाइल।

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-I (एचआरएम-I)